



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक 23 जुलाई, 2025

CRACKDOWN BULANDSHAHR

थाना डिबाई

हत्या की घटना में वांछित बदमाश के साथ थाना डिबाई पुलिस व स्वाट टीम देहात की हुई मुठभेड़, जवाबी कार्यवाही में 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित बदमाश घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, आलाकत्ल व बाइक बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 22/23.07.2025 की रात्रि को थाना डिबाई पुलिस व स्वाट टीम देहात एक अभिसूचना के आधार पर मुखैना नहर पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की चैकिंग कर रही थी तभी एक बाइक पर सवार संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया जिसको रुकने का इशारा किया गया तो नही रुका बल्की बाइक को तेजी से मोड़कर भागने का प्रयास करने लगा। जिसपर बदमाश की बाइक मुखैना नहर से कुछ दूरी पर अनियन्त्रित होकर फिसल गयी। बदमाश द्वारा अपने आपको पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी, पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगने से घायल हो गया जिसे गिरफ्तार किया गया। **गिरफ्तार/घायल बदमाश की पहचान कुलदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम चिरौरी रानी कतियावली थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर के रुप में हुई हैं।** जिसको उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलहा, कारतूस, आलाकत्ल व बाइक बरामद हुई है।

उल्लेखनीय है कि बदमाश शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त कुलदीप उपरोक्त द्वारा थाना डिबाई क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 19.06.2025 को एक बालक की हत्या कर दी थी, जिसके सम्बंध में थाना डिबाई पर पंजीकृत मुअसं-437/25 धारा 103(1) बीएनएस में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलन्दशहर द्वारा 25,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयास किये जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. कुलदीप पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम चिरौरी रानी कतियावली थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

- 1- 01 स्प्लेंडर मोटरसाइकिल (बिना नम्बर)
- 2- 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा, 03 खोखा कारतूस।
- 3- 01 आलाकत्ल (बलकटी)

अभियुक्त कुलदीप का आपराधिक इतिहास-

- 1- मुअसं-437/25 धारा 103(1) बीएनएस थाना डिबाई जनपद बुलन्दशहर।
- 2- मुअसं-105/25 धारा 309(4) बीएनएस थाना कैला खेड़ा जनपद संभल।

अभियुक्त की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के संबंध में थाना डिबाई पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- श्री रविरतन सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना डिबाई।
- 2- उ0नि0 पवन प्रताप , उ0नि0 कृष्ण पाल सिंह , उ0नि0 राहुल राजपूत।
- 3- का0 राजू, का0 जितेन्द्र चौधरी, का0 मोहिता।

स्वाट टीम देहात-

1. श्री पम्मी चौधरी प्रभारी स्वाट टीम देहात ।
2. है0का0 नेत्रपाल, है0का0 नितिन शर्मा, है0का0 कुलदीप सिंह, है0का0 रूपेंद्र कुमार, है0का0 अरुण कुमार, का0 मनीष, का0 आकाश, का0 अजय व का0 विपिन।



मीडिया सेल बुलंदशहर